सत्यमेव जयते

संख्या : 4020/जी0एस0(शिक्षा)/A15-48/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

02 FEB 2023

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : जनवरी, 2023**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–2576 दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम–2014 की धारा–36(1) के अन्तर्गत निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
सिद्धार्थ नर्सिंग एजुकेशन एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, निकट आई0टी पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।	बी0एससी0 (नर्सिंग) पोस्ट बेसिक बी0एससी0 (नर्सिंग)	40 30	2021–22

(1) संस्थान द्वारा Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न नहीं किये गये हैं। प्राभूति राशि भी अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में सभी मानक पूर्ण कराते हुए राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाये।

(2) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा विश्वविद्यालय तद्सम्बन्धी आख्या राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने के उपरान्त ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

क्रमशः.........2/....

(4) विश्वविद्यालय नियामक संस्था, विश्वविद्यालय व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलबध करायें।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

<u>संख्या : 4020 (1)/जी0एस0 (शिक्षा)/A15-48/2021 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सिद्धार्थ नर्सिंग एजुकेशन एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, निकट आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।